राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141–5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/पीएमकेएसवाई/फा.पौ./2017–18/1409-1627 दिनांक : 17/05/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद, समस्त.................................

विषयः– वर्ष 2017–18 मे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के दिशा निर्देश।

प्रसंगः– कृषि निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 434–594 दिनांक 24.04.2017।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के क्रम मे जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश मय लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। वर्ष 2017–18 मे ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनो पर ही अनुदान प्रक्रिया की कार्यवाही की जावे। माह जून–जुलाई, 2017 में शिविर आयोजित कर कृषकों से फार्म पौण्ड निर्माण के ऑन–लाईन अधिकाधिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रगति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल व हार्ड कापी मे भिजवाया जाना सुनिश्चित् करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/पीएमकेएसवाई/फा.पौ./2017–18/1409-1627 दिनांक : 17/05/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, समस्त.......................................।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
18. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
19. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
20. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
21. ए.सी.पी. कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
22. समस्त परियोजना /उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
23. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...

17.5.2017
(आर. डी. सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

फार्म पौण्ड निर्माण के मुख्य प्रभावी बिन्दू

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत जिला सिंचाई योजना पर आधारित कार्यक्रम।
- कार्यक्रम जिला सिंचाई योजना में अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर।
- राज्य के समस्त जिले जहाँ वर्षा जल बहाव हो।
- कृषक के पास एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य स्थित भूमि।
- भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के दिशा निर्देशों के मध्य नजर फार्म पौण्ड पर अनुदान का विवरण :–

न्यूनतम आकार	**सभी श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम देय अनुदान, जो भी कम हो।**	
600 घनमीटर	**फार्म पौण्ड कच्चा**	**फार्म पौण्ड मय प्लास्टिक लाइनिंग(300 माईक्रोन, बी आई एस मापदण्ड के अनुसार हो)**
	राशि रूपये 52,500/–	राशि रु. 75000/–
600 या 600 घन मीटर से अधिक आकार के फार्म पौण्ड पर अनुदान राशि की गणना प्रोरेटा बेसिस पर की जाकर अनुदान देय होगा। अनुदान अधिकतम सीमा से अधिक देय नहीं होगा।		

- आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य।
- जिले को आवंटित लक्ष्यो का उप निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा जिलें में स्थित उप जिलेंवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जावेगा। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के द्वारा आवंटित लक्ष्यों का विभाजन ब्लॉकवार एवं पंचायतवार किया जावेगा जिसका अनुमोदन जिला कार्यालय के माध्यम से खण्डीय संयुक्त निदेशक कार्यालय से प्राप्त किया जावेगा।
- फार्म पौण्ड निर्माण से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
- अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा की जावेगी।
- निर्धारित लक्ष्यो मे 10–15 प्रतिशत श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से।
- सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र,
    - कुल लक्ष्यो मे से,
        - अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत,
        - अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत,
        - लघु/सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत एवं महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत भागीदारी हेतु प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

*उपरोक्त संक्षिप्त विवरण को ध्यान में रखते हुये संलग्न विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2017–18

फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण के दिशा–निर्देश

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है :–

राज्य में वर्षा जल संरक्षण के दृष्टिकोण से कृषको के लिये फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्य महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य है।

अ–अनुदान की पात्रता :–

1. कृषक के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टेयर (0.5 है.) का स्वामित्व हो तथा सह खातेदारों की स्थिति में भी न्यूनतम आधा हैक्टयर भूमि उनके हिस्सें में हो, फार्म पौण्ड निर्माण हेतु अनुदान के पात्र होंगे। फार्म पौण्ड निर्माण के अंतर्गत कृषक स्वयं के नाम से अन्यत्र स्थित भूमि में भी फार्म पौण्ड निर्माण कराना चाहता है तो ऐसे फार्म पौण्ड के निर्माण पर अनुदान देय होगा। एक कृषक को दूसरे फार्म पौण्ड पर अनुदान अन्यत्र स्थित भूमि/चक/अन्य खसरा के आधार पर देय होगा अन्यथा नही।
2. कृषकों द्वारा न्यूनतम 600 घन मीटर (20X10X03) या इससे अधिक आकार के फार्म पौण्ड का निर्माण करने पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना की जाकर अनुदान देय होगा। अनुदान अधिकतम सीमा से अधिक देय नहीं होगा।
3. फार्म पौण्ड निर्माण में खेत की स्थिति के आधार पर लम्बाई, चौड़ाई में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन फार्म पौण्ड की गहराई 3 मीटर से कम नहीं होगी ।
4. कृषक द्वारा 3 मीटर से अधिक गहरा फार्म पौण्ड निर्मित किया जाता है तो कुल आयतन में 3 मीटर तक ही गहराई को सम्मिलित करते हुए लम्बाई व चौड़ाई की गणना की जाकर अनुदान राशि का निर्धारण किया जायेगा।
5. फार्म पौण्ड निर्माण करते समय गहराई की बाध्यता को ध्यान में रखते हुये पथरीलें क्षेत्र जहां पर 3 मीटर गहराई लिया जाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) खण्डीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में 2 से 3 मीटर तक की गहराई में शीथलता के आधार पर गणना की जाकर अनुदान देय होगा। फार्म पौण्ड की गहराई 2.0 मीटर से कम नहीं होगी।
6. कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
7. फार्म पौण्ड निर्माण का कार्यक्रम **जिला सिंचाई योजना** मे अनमोदित कार्यक्रम के आधार पर लिया जावेगा।
8. कृषक के स्वयं के नाम से भू–स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक स्वयं के